न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा (राज0)

नाम पीठासीन अधिकारीः– श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी, तहसीलदार माण्डलगढ

प्रकरण संख्या 03/2016

दायर दिनांकः 01.04.2016

उनवान

कल्ली देवी पत्नि रामकुंवार कंजर उम्र वालिग निवासी सूई तहसील माण्डलगढ

––प्रार्थीया

बनाम

1. बंशीलाल पिता कल्याण दरोगा उम्र वालिग निवासी सूई हाल मुकाम खेरामजीकाखेडा तहसील जहाजपुर राज0
2. गोपाल पिता कल्याण दरोगा उम्र वालिग निवासी सूई हाल मुकाम अखेरामजीकाखेडा तहसील जहाजपुर राज0
3. गिरवर पिता शान्तिलाल दरोगा उम्र वालिग निवासी सूई तहसील माण्डलगढ
4. हंसा पत्नि राकेश कंजर उम्र वालिग निवासी सूई तहसील माण्डलगढ

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– श्री पवन कुमार जीनगर :– अधिवक्ता प्रार्थी

कल्ली देवी पत्नि रामकुंवार कंजरः– प्रार्थीया

निर्णय दिनांकः 09.10.2020

प्रकरण संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थीया कल्ली देवी पत्नि रामकुंवार कंजर निवासी सूई तहसील माण्डलगढ ने दिनांक 16.03.2016 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सरथला प0ह0 सरथला तहसील माण्डलगढ के आराजी नं. 1237/358 रकवा 6 बीघा स्वयं की खातेदारी मे चली आ रही है। प्रार्थीया ने अपनी उक्त वर्णित खातेदारी भूमि किसी भी व्यक्ति को रहन विक्रय नही किया है। करीब 1 वर्ष पूर्व विपक्षीगण ने भुजवल एवं बाहुवल के आधार पर करीव 1.10 बीघा भूमि पर कब्जा कर लिया है। विपक्षी को दिनांक 5.03.2020 को कब्जा छोडने को कहा गया तो विपक्षी ने उक्त भूमि पर से कब्जा छोडने से साफ इनकार हो गये। प्रार्थीया की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि पर विपक्षीगण अतिक्रमी की हैसियत से काविज है व विपक्षीगण उसे डरा व धमका रहे है। अतः विपक्षीगणो को विवादित भूमि से बेदखल कर कब्जा प्रार्थीयां को सपुर्द करने वावत निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये।

दिनांक 06.05.2016 को विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता हरिओम सनाढ्य ने एवं विपक्षी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता गिरधारी लाल आचार्य ने अधिकार पत्र पेश किया व जवाव हेतु समय चाहा गया जो न्याय हित मे दिया जाकर अधिकार पत्र शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 2 की ओर से दिनांक 06.05.2016 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। विपक्षी संख्या 2 ने अपने जवाव मे यह कथन किया है कि विवादित भूमि पर कभी भी विपक्षी संख्या 2 द्वारा बाहुवल व भुजवल से कब्जा नही किया है वल्कि विपक्षी द्वारा बिलानाम आराजी नं. 358 मे 1.10 बीघा भूमि पर करीब 30 वर्षो से काबिज होकर फसल काश्त कर रहा है तथा

तहसीलदार माण्डलगढ

Scanned with CamScanner

राज्य सरकार मे लगातार पेनल्टी जमा करवाता आ रहा हूँ। विपक्षी संख्या 02 के जवाब को शामिल पत्रावली किया गया। पटवारी से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

विपक्षी संख्या 03 को पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करने से दिनांक 08.08.2017 को जवाब पेश करने का अवसर समाप्त किया।

दिनांक 19.06.2018 को प्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22 नियम 3 व 4 जा0दी0 को प्रस्तुत कर विपक्षी संख्यां 01 की मृत्यु हो जाने से मृतक के विधिक वारिसान की रिपोर्ट प्रस्तुत कर मृतक के स्थान पर मृतक के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाये जाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मृतक के वारिसान को जरिये नोटिस तलब किया गया लेकिन बावजूद नोटिस तामील के विपक्षीगण उपस्थित नही हुए है।

प्रकरण मे भू–अभिलेख निरीक्षक काछोला से विवादित भूमि की वर्तमान मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 31.08.2020 को पुनः लिखा गया। भू–अभिलेख निरीक्षक काछोला ने दिनांक 08.09.2020 को प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से अवगत करवाया कि विवादित भूमि के आराजी नं. 1237/358 रकबा 6 बीघा भूमि पर विपक्षी संख्या 01 के वारिसान व विपक्षी संख्या 02 व 03 का कब्जा नही है। वर्तमान के प्रार्थीया की आराजी नं 1237/358 रकबा 6.00 बीघा भूमि पर विपक्षी संख्या 04 हंसा पत्नि राकेश कंजर व विपक्षी संख्या 04 का पति राकेश पिता भूरा कंजर निवासी सूई तहसील माण्डलगढ का कब्जा है। मौका रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 09.10.2020 को प्रार्थीया के अधिवक्ता की अन्तिम बहस सुनी गई। मेनें प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, वर्तमान मौका रिपोर्ट व सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीया अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर भू–अभिलेख निरीक्षक काछोला को आदेशित किया जाता है कि ग्राम सरथला, नवीन ग्राम सूई प0ह0 सरथला तहसील माण्डलगढ के आराजी नं. 1237/358 रकबा 6.00 बीघा भूमि से विपक्षी संख्या 04 हंसा पत्नि राकेश कंजर व राकेश पिता भूरा कंजर निवासी सूई तहसील माण्डलगढ को बेदखल कर कब्जा प्रार्थीया कल्ली देवी पत्नि रामकुंवार कंजर निवासी सूई तहसील माण्डलगढ को संभलाया जावें। निर्णय खुले न्यायालय मे प्रार्थीया के अधिवक्ता व प्रार्थीया की उपस्थिति मे सुनाया गया। निर्णय की पालना हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक काछोला को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुरेन्द्र सिंह चौधरी)
तहसीलदार माण्डलगढ
तहसीलदार माण्डलगढ

Scanned with CamScanner